उत्तर प्रदेश शासन

ग्राम्य विकास अनुभाग-6

संख्या-25/2017/537/अड़तीस-6-17-06एवीआरवाई/2016

लखनऊ दिनांक-14 अगस्त, 2017

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

ग्राम्य विकास बजट एवं अनुश्रवण प्रकोष्ठ के लिये वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में आय-व्ययक के माध्यम से रू0-8.04 लाख की बजट व्यवस्था की गई है। शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-261/38-6-17-06एवीआरवाई/2016, दि0-27 अप्रैल, 2017 में दी गई व्यवस्था के अनुसार 02 मजदूरी मद में प्राविधानित बजट रू0-5.76 लाख के सापेक्ष प्रथम 05 माह के लिए 02 मजदूरी मद से रू0-2.4 लाख स्वीकृत किया गया है। उक्त 02 मजदूरी मद की अवशेष रू0-3.36 लाख (रूपये तीन लाख छत्तीस हजार मात्र) की धनराशि को निम्नलिखित शर्तो के अधीन श्री राज्यपाल महोदय व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है -

2- उपर्युक्त दर्शायी गयी धनराशि का उपयोग ग्राम्य विकास बजट एवं अनुश्रवण प्रकोष्ठ के स्तर पर किया जाएगा। अतः इस धनराशि के सम्बंध में आहरण एवं वितरण अधिकारी, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को आहरण वितरण अधिकार दिया जाता है।

3- उक्त धनराशि का व्यय शासन द्वारा समय-समय पर जारी मिव्ययता संबंधी निर्देशों को ध्यान में रखकर ही किया जाए तथा विशेष रूप से यात्रा-व्यय, गाडियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद तथा कार्यालय व्यय वित्त विभाग द्वारा मितव्ययता संबंधी नवीनतम जारी आदेशों का अनुपालन करते हुये अधिकतम आवंटित सीमा तक ही सीमित रखा जाये। आवंटित धनराशि के किसी अंश का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुवल के अन्तर्गत निर्धारित मापदण्डों के अनुसार किया जाये। ऐसे व्यय शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीक़ति व सहमति प्राप्त करते के बाद ही किया जाये। व्यय में की यी किसी भी अनियमितता के लिए आहरण एवं वितरण अधिकारी तथा उक्त प्रकोष्ठ के प्रभारी समान रूप से उत्तरदायी होंगे। अतिरिक्त धनराशि की प्राप्ति की प्रत्याशा में अनाधिक़त एवं व्ययाधिक्य कदापि न किया जाये तथा अनुपयोगित धनराशि 31 मार्च, 2018 को सुसंगत लेखाशीर्षक में समर्पित कर दी जाएगी।

4- प्रस्तर-3 में दिये गये आदेशों/निर्देशों का पालन कडाई से सुनिश्चित किया जाये।

5- इस सम्बंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक अनुदान सं0-13 के अधीन लेखाशीर्षक-"2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-आयोजनेत्तर-102-सामुदायिक विकास-09-ग्राम विकास बजट एवं अनुश्रवण प्रकोष्ठ-02-मजदूरी मद के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाई के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-8/2017/बी0-1-1190/दस-2017-231/2017, दि0-03.08.2017 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में जारी किये जा रहे है।

गोविन्द राजू एन.एस.
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-25/2017/537(1)/अडतीस-6-2017-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबादा।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबादा।
3- मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियॉ एवं पंचायतें नवॉ तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
4- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- अनुभाग अधिकारी लेखा/सहायक लेखाकार, (लेखा कोष्ठक) ग्राम्य विकास विभाग।
6- आहरण वितरण अधिकारी, ग्राम्य विकास सचिव, शाखा।
7- विशेष कार्याधिकारी एवं निदेशक ग्राम्य विकास बजट एवं अनुश्रवण प्रकोष्ठ, उ0प्र0 शासन।
8- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
9- नियोजन अनुभाग-4/ग्राम्य विकास अनुभाग-2, ग्राम्य विकास अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सुरेश कुमार पाण्डेय
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in